उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (नागरिक अधिकार पत्र)

CITIZEN CHARTER

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएँ – उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, स्वयं संचालित योजना व महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में चाय प्लान्टेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा येाजना एवं बोर्ड द्वारा सॅयुक्त रूप से धनराशि व्यय की जाती है। कास्तकारों को 100 दिन मनरेगा योजना के अन्तर्गत तथा शेष दिनों का रोजगार बोर्ड द्वारा दिया जाता है।

चाय प्लान्टेशन हेतु भूमि चयन/आवेदन प्रक्रिया तथा कास्तकार को लाभ–

1– वर्तमान में बोर्ड द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों को चिन्हित किया जा रहा है जहॉ पर कास्तकारों की मॉग के अनुसार लगभग 60 से 100 हैक्टेयर जमीन चाय बागान हेतु उपलब्ध हो।

2– कास्तकार द्वारा अपनी नाप भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को चाय प्लान्टेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा कास्तकार की भूमि का मृदा परीक्षण करवाया जाता है। मृदा परीक्षण में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर विकास खण्ड से प्राप्त समस्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन/शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। जिला प्रशासन/शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाता हैं।

3– उपलब्ध भूमि का मृदा सांराश 4.5 से 6.00 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसकी जॉच बोर्ड द्वारा अपनी मृदा प्रयोगशाला में करवाई जाती है।

4– कास्तकार की नाप भूमि में ही बोर्ड द्वारा चाय प्लान्टेशन किया जाता है।

5– कास्तकार द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि के अतिरिक्त बंजर भूमि में भी चाय प्लान्टेशन किया जा सकता है।

चाय विकास कार्यक्रम से कास्तकार को निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है:–

1– बोर्ड द्वारा कास्तकार की बंजर भूमि में चाय प्लान्टेशन कर उस भूमि को उत्पादक श्रेणी में लाकर कास्तकार की आय में वृद्वि करना।

2– बोर्ड द्वारा कास्तकार की चयनित भूमि को लीज पर लेकर चाय प्लान्टेशन के 15 वर्ष तक बागान रखरखाव स्वयं किया जायेगा। जिसमें 07 वर्ष पश्चात भूमि का किराया कास्तकार को दिया जाता है।

3– कास्तकार द्वारा चाय प्लान्टेशन हेतु दी गयी भूमि के एबज में भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर (प्रति हैक्टेयर) उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

4– कास्तकार को दिया जाने वाले रोजगार एक तरह से चाय ट्रैनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होता है, जिसमें उसको चाय पौध के विभिन्न चरणों (नर्सरी, प्लान्टेशन, इनफिलिंग, प्रूनिंग, हरी

पत्तियों की तुड़ाई आदि) की जानकारी दी जाती है। साथ ही समय–समय पर कास्तकारों को राज्य के भीतर व अन्य प्रदेशों में विकसित चाय बागानों का भ्रमण करवाया जाता है।

5– क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन के 5 वर्ष उपरान्त जब बागान से हरी पत्तियॉ प्राप्त होने लगती है तो बोर्ड द्वारा उस विकास खण्ड के कास्तकारो का स्वयं सहायता समूह (SHG)बनाकर चाय फैक्ट्री स्थापना की कार्यवाही की जाती है, जिसकी आय कास्तकारों को बोनस के रूप में अतिरिक्त रूप से दी जायेगी।

6– चाय प्लान्टेशन में बहुत अधिक मेहनत का कार्य न होने के कारण यह योजना विशेषकर महिलाओं के रोजगार में सहायक सिद्व होती है।

7– एक बार चाय बागान स्थापित करने पर उचित देखरेख में चाय पौध से 100 वर्षो तक उत्पादन लिया जा सकता है। चाय बागानों में प्रति सप्ताह हरी पत्तियों की तुड़ाई की जाती है, जिससे कास्तकार को प्रति सप्ताह हरी पत्तियों की बिक्री से आय प्राप्त कर सकता है। हरी पत्तियों की तुड़ाई माह मार्च से नवम्बर तक की जाती है।

8– यदि कास्तकार द्वारा स्वयं चाय प्लान्टेशन कार्य किया जाता है तो कास्तकार को भारतीय चाय बोर्ड द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बोर्ड के प्रबन्ध परिषद की बैंठक में प्रबन्ध परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में नये क्षेत्रों में चाय विकास कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जायेगा।

क्र0सं0	कार्य/क्रियाकलाप का विवरण	कार्य हेतु निर्धारित समय सीमा	टिप्पणी
1	कास्तकारों द्वारा अपनी नाप भूमि में चाय प्लान्टेशन हेतु अनुरोध पत्र के क्रम में सम्बन्धित क्षेत्र के बागान प्रबन्धक को सर्वे हेतु कार्यवाही	15 दिन	पत्र प्राप्ति के बाद
2	बागान से प्रबन्धक की सर्वे रिपोर्ट व भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर मृदा सैम्पल प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही	15 दिन	
3	प्रयोगशाला स्तर से मृदा रिपोर्ट सम्बन्धित बागान प्रबन्धक/मुख्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही	15 दिन	
4	सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त मुख्यालय स्तर से मनरेगा के अन्तर्गत चाय बागान विकसित करने	प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक	

	हेतु बोर्ड के प्रबन्ध परिषद में प्रस्ताव अनुमोदन करवाने की कार्यवाही		
5	प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरान्त मनरेगा के अन्तर्गत चाय बागान विकसित करने हेतु जिला प्रशासन को प्रस्ताव।	प्रबन्ध परिषद के बैंठक का कार्यवृत्त प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर।	
6	जिला प्रशासन से मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त बोर्ड स्तर से क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन की कार्यवाही	15 दिन	जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद।
7	कास्तकार द्वारा स्वयं चाय बागान विकसित करने हेतु चाय पौधों की मॉग पर चाय पौध उपलब्ध कराने की कार्यवाही।	15 दिन (रू0 40.00 प्रति पौध)	पत्र प्राप्ति के बाद (कास्तकार द्वारा बोर्ड की नर्सरी से स्वयं पौध प्राप्त एवं ढुलान व्यय स्वयं वहन किया जायेगा)
8	चाय बागानों में खाद व दवाईयों का छिड़काव	आपूर्तिकर्ता फर्म से सामग्री प्रांप्त होने के 15 दिन के अन्दर।	
9	चाय बागानों में चाय पौधों के प्रकोप निदान की कार्यवाही		चाय विशेषज्ञ द्वारा दिये गये सुझाव के उपरान्त

प्रशासनिक (कार्मिकों से संबंधित)			
1	वार्षिक वेतन वृद्वि	निर्धारित माह में	
2	समयमान वेतन की स्वीकृति/अग्रसारण	बोर्ड के प्रबन्ध परिषद/शासन की स्वीकृति उपरान्त	
3	ई0पी0एफ0 अग्रिम/अन्तिम निष्कासन सम्बन्धी अनुरोधों की स्वीकृति/निष्कासन	15 दिन	

4	चिकित्सा/अर्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति/अग्रसारण	15 दिन	
5	ग्रेच्युटी सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही	01 माह	बोर्ड के प्रबन्ध परिषद की स्वीकृति उपरान्त।
6	पदोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही	सेवानियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड के प्रबन्ध परिषद/शासन की स्वीकृति उपरान्त	
7	कार्मिकों के विभिन्न देयकों पर कार्यवाही/अग्रसारण	बोर्ड के प्रबन्ध परिषद की स्वीकृति उपरान्त।	

निदेशक
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।